महेश चन्द्र शर्मा
पूर्व–महापौर

सदस्य :
शिक्षा समिति, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
अध्यक्ष : दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन

दूरभाष : 23693036
मो. : 9911366200
8130892281
निवास : 82, विवेकानन्द पुरी
किशनगंज, दिल्ली–110007

क्रमांक 15/19 दिनांक : 4/9/19

सेवा में, श्री पुनीत वत्स जी
प्रमुख अभियन्ता महोदय
लोक निर्माण विभाग- दिल्ली -2

14 सितम्बर हिन्दी दिवस 2019 को और कैसे मनायें

आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व 14 सितम्बर, 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि अंग्रेजी का प्रयोग धीरे–धीरे कम करके भारतीय भाषाओं और हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा क्योंकि अंग्रेजी देश को दो हिस्सों में बाँटती है। एक तो ऐसा वर्ग है जो अपने को आम जनता से अलग कर अंग्रेजी भक्त होने के कारण अपने को खास कहता है। दूसरा हिन्दी प्रेमी आम जनता है। हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है। हिन्दी भाषा का साहित्य अत्यन्त ही समृद्ध है। हिन्दी ने राष्ट्र को एक समृद्ध साहित्य दिया है। हिन्दी में कबीर, सूर, तुलसीदास, रहीम, रसखान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री प्रेमचन्द आदि अनेक कवियों और लेखकों की परम्परा रही है।

राजभाषा और राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को अकस्मात ही नहीं चुना गया, इसकी एक पृष्ठभूमि रही। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक जैसे समाज सुधारकों ने इसे समस्त भारत के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में चुना था। इतिहास साक्षी है कि हिन्दी ने सम्पर्क और साहित्यिक भाषा के रूप में उत्तरी भारत ही नहीं मध्य भारत से आगे जाकर अपनी प्रभावशालिता को बढ़ाया और आज विश्व में सर्वाधिक समझी जाने वाली भाषा है। राष्ट्रीय आंदोलन में तो आगे जाकर महात्मा गांधी, श्री मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि टंडन जी, डॉ० रघुवीर, डॉ० लोहिया आदि ने हिन्दी को राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा ही बना दिया था। उसके फलस्वरूप ही देश के कोने–कोने में राष्ट्रीय चेतना व्याप्त हो गई थी। क्योंकि यह सच्चाई है कि अंग्रेजी के माध्यम से केवल कम प्रतिशत लोगों तक ही पहुँच हो सकती है, जबकि हिन्दी के माध्यम से राष्ट्र को एक सूत्र में बाँध सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सच्चाई है कि अंग्रेजी मानसिक गुलामी का प्रतीक है मानसिक गुलामी से मुक्ति प्राप्त किये बिना हम सही अर्थों में स्वतंत्र भी नहीं हो सकते।

हिन्दी मातृभाषा ही नहीं है, इससे भारतीय संस्कृति का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपनी भाषा और साहित्य के माध्यम से ही व्यक्ति को अपनी संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है और संस्कृति के और सामाजिक मूल्यों का पता चलता है। हिन्दी केवल भाषा ही नहीं, यह भारत की स्वत्व, अस्मिता और संस्कृति की प्रतीक भी है। समाज में चेतना जागरण का भाव, देशभक्ति का भाव, अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही दिया जा सकता है। हिन्दी वह भाषा है जिसके माध्यम से हमने स्वतंत्रता आंदोलन को सारे देश में गुंजायमान किया और उसके संदेश को घर–घर तक पहुंचाया। हिन्दी ही हम सबको एकता के सूत्र में बाँा सकती है और समाज तथा राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकती है।

राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी प्रति जागरूकता, और उसके प्रयोग में गति लाने के लिए मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों / बैंकों / निगमों आदि में हर वर्ष सितम्बर माह में **'हिंदी पखवाड़ा'** आयोजित किया जाता है, **नगर निगम उनमें प्रमुख है क्योंकि इसका जनसंपर्क बहुत होता है।** लेकिन यह आयोजन केवल एक दिखावा ही न बने अतः अभी से इस ओर **राजभाषा विभाग** को

कार्यालय : ई–81, दयानन्द कालोनी, किशनगंज, दिल्ली–110007 दूरभाष : 23691300

योजना बनाने जैसे हिंदी भाषा के उत्थान, हिंदी और उसके प्रोत्साहन के लिए हिंदी पखवाड़ा आरंभ होने से पूर्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले **अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले।** हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ, जिनका संबंध सरकारी कामकाज व्यवहार से हो। आई.टी. क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए तथा जो कर्मचारी हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाए। जो काम ओन लाइन किये हैं वे हिन्दी में हों।

हिंदी पखवाड़े का मुख्य समारोह **14 सितंबर को या उसी पखवाड़े में ही आयोजित किया जाए।** गत 14 सितम्बर से आज तक पिछले एक वर्ष में **राजभाषा के प्रयोग में क्या प्रगति हुई है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए।** मुख्य कार्यक्रम से पूर्व जो राजभाषा विभाग में पद रिक्त है उन्हें भरा जाए या मंत्रालय से योग्य और हिंदी में प्रवीण व्यक्तियों को प्रति नियुक्ति पर लेकर रिक्त पद किये जाएँ। राजभाषा के पद खाली नहीं रहने चाहिए।

सरकारी कार्यालयों में जब तक हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक हिन्दी अनुवादक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएँ।

अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण पर नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए किया जा सकता है। नगर निगम में अभी भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है उसमें बदल हो। हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण) **गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग** द्वारा हर वर्ष हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण एवं आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसका लाभ उठाया जाए। हिन्दी क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाए।

संविधान के अनुसार आज भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी सहायक भाषा है। कई कारणों से हिंदी को उतना महत्त्व नहीं मिल पा रहा है जितना उसके मिलना चाहिए। हम हिंदी दिवस पर यह संकल्प लें कि हिंदी को राजभाषा बनना है साथ ही दूसरी प्रादेशिक भाषाओं का भी राष्ट्रीय स्तर के लिये विकसित करना है, तभी विदेशी भाषा अंग्रेजी से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हिंदी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह राजभाषा के स्थान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त अभिव्यक्ति देनेवाली भाषा के रूप में अपने में ऊर्जा पैदा करें इसके लिए आप जैसे हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवियों, हिंदी लेखकों और साहित्यकारों को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को ज्ञान–विज्ञान की भाषा के रूप में विकसित किया जाये और इसे आम जनता तक पहुँचाया जाए।

हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि हिन्दी केवल बोलचाल की भाषा बनने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि यह आम आदमी की व्यवहारिक, अदालती, सरकारी कार्यों आदेश, निर्देश की भाषा बननी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सरकारी विभाग में हिन्दी को राजभाषा नियम 2003 के अनुसार अपनायें। अपने कार्यालयों, संस्थान के समस्त पत्राचार, निमंत्रण–पत्र, आवेदन, नाम–पट्टों और सार्वजनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी को प्रयोग करें। हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें। हिन्दी को हम केवल अनुवाद की भाषा ही बनाकर नहीं चलें। जब हम मूल रूप में हिन्दी में सोचने, समझने और लिखने की आदत डालेंगे और हिन्दी की हमें आवश्यकता क्यों है इस बात को समझेंगे और अन्य लोगों को समझायेंगे तब ही 'हिन्दी दिवस' सार्थक होगा।

हमें आशा है कि आप इस राष्ट्रीय पूर्व को उत्साह से मनवाकर हिन्दी को अपने मंत्रालय डाक तार विभाग में प्रोत्साहन देने का संकल्प लेंगे।

महेश चन्द्र शर्मा पूर्व महापौर
अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन

दूरभाष : 23364767

स्थापित सन् 1944 ईस्वी

दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन

31, उत्तरी परिसर (नार्थ एण्ड कॉम्पलैक्स), रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001

अध्यक्ष : महेश चन्द्र शर्मा पूर्व महापौर 9911366200

महामंत्री : श्रीमती इन्दिरा मोहन

कोषाध्यक्ष : सुरेश खण्डेलवाल 9312215286

प्रयास की ओर एक सफलता

संरक्षक :
श्री जयनारायण खण्डेलवाल
परामर्शदाता :
श्री राम कृष्ण गुप्ता
आचार्य सोहनलाल रामरंग
श्री बाबूराम गुप्ता
श्री रोशन लाल अग्रवाल
श्री मनोहर लाल कुमार
उपाध्यक्ष :
डॉ० रामशरण गौड़
गौरीशंकर भारद्वाज
अरुण कुमार वर्मन
मुकेश गुप्ता ग्राफिक एड्स
प्रो० मालती जी
प्रबन्ध मन्त्री :
श्याम सुन्दर गुप्ता
संगठन मन्त्री :
राम गोपाल शर्मा
साहित्य मन्त्री :
डॉ० रवि शर्मा
मन्त्री :
चेतन शर्मा
गजेंद्र सोलंकी
नाहर सिंह वर्मा
डॉ० तारा गुप्ता
रामदत्त मिश्र 'अनमोल'
ऑडिटर :
नरेश गुप्ता सी.ए.
विशिष्ट, सम्मानित सदस्य :
श्री रमाकांत गोस्वामी
पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर
श्रीराकेश गुप्ता साधना टीवी
श्री बी.एल. गौड़
डॉ. गोविंद व्यास
श्री रिखब चंद जैन
श्रीमती सरला भटनागर
श्री सुभाष आर्य
श्री विजेन्द्र गोयल
श्री आदित्य अवस्थी
श्री आलोक कुमार
श्री सुनील गर्ग
डॉ० ऊषा पाहवा
श्री अशोक शर्मा पत्रकार
श्री दिनेश शर्मा पत्रकार
श्रीमती अनु अग्रवाल
डॉ० कमला कौशिक
धर्मवीर बत्रा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.स. 08(01)/2012-क.स. एवं भाषा/4313-4317 दिनांक: 30.1.12

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/ बोर्ड/ उपक्रम दिल्ली/ नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने का अनुरोध।

महोदय/ महोदया,

इस सरकार के इस विभाग को दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/ निकायों/ संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 एवं राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/ निदेशों के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/ सामान्य व्यक्तियों/ कर्मचारियों से ऐसे पत्र बार-बार प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उनके पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं होता है। जबकि इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना स. 7 (9)/ 97- भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में निर्धारित प्रतिशत में कार्य नहीं हो रहा है, जो विभागों का हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/ अधिकारी हिन्दी में प्रवीण हैं और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है और यह विभाग हिन्दी में प्रवीण ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों आदि से हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए

संपर्क : ई/81 दयानंद कालोनी, किशन गंज, दिल्ली-110007 (मो०) 9911366200

स्थापित सन् 1944 ईस्वी

दूरभाष : 23364767

दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन

31, उत्तरी परिसर (नार्थ एण्ड कॉम्पलैक्स), रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001

अध्यक्ष :	महामंत्री :	कोषाध्यक्ष.
महेश चन्द्र शर्मा पूर्व महापौर	श्रीमती इन्दिरा मोहन	सुरेश खण्डेलवाल
9911366200	23812023	9312215286

संरक्षक :
श्री जयनारायण खण्डेलवाल
परामर्शदाता :
श्री राम कृष्ण गुप्ता
आचार्य सोहनलाल रामरंग
श्री बाबूराम गुप्ता
श्री रोशन लाल अग्रवाल
श्री मनोहर लाल कुमार
उपाध्यक्ष :
डॉ० रामशरण गौड़
गौरीशंकर भारद्वाज
अरुण कुमार वर्मन
मुकेश गुप्ता ग्राफिक एड्स
प्रो० मालती जी
प्रबन्ध मन्त्री :
श्याम सुन्दर गुप्ता
संगठन मन्त्री :
राम गोपाल शर्मा
साहित्य मन्त्री :
डॉ० रवि शर्मा
मन्त्री :
चेतन शर्मा
गजेंद्र सोलंकी
नाहर सिंह वर्मा
डॉ० तारा गुप्ता
रामदत्त मिश्र 'अनमोल'
आडिटर :
नरेश गुप्ता सी.ए.
सम्मानित सदस्य :
श्री रमाकांत गोस्वामी
पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर
राकेश गुप्ता साधना टीवी
श्री बी.एल. गौड़
डॉ. गोविंद व्यास
श्री रिखब चंद जैन
श्रीमती सरला भटनागर
श्री सुभाष आर्य
श्री सुनील कक्कड़
श्री आदित्य अवस्थी
श्री आलोक कुमार
श्री सुनील गर्ग
डॉ० ऊषा पाहवा
अशोक शर्मा पत्रकार
दिनेश शर्मा पत्रकार
हबीब अख्तर पत्रकार
कमला कौशिक

केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है। जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संगठनों/ संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :

नियम 5 के अनुसार हिन्दी पत्रादि के उत्तर नियम 3 और 4 के किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :- 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश सचदेवा)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष सं. 23392152

फा.सं. 08(01)/2012-क.सं. एवं भाषा/4318-4328 दिनांक: 30.1.12

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/ नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्यमंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/ नई दिल्ली।